कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई–मेल *almoraforestdivision@rediffmail.com*

पत्रांक 6234/12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 20-05-2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो0नि0वि0 रानीखेत।

विषय – **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0मी0 171.00 से 206.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण के संबंध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/151120/2022)**

संदर्भ– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/8/2022/एफ0सी0/ दिनांक 03. 05.2025।**

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के बिन्दु सं0 01 के क्रम में मोटर मार्ग में प्रभावित हो रहे वृक्षों की पूर्व प्रेषित गणना सूची व वर्तमान में प्रेषित गणना सूची में अन्तर पाया गया है, जिसके उपरान्त प्रभाग स्तर से प्रस्ताव के अवलोकन करने पर निम्न बिन्दुओं पर कमियां पायी गयी है–

1– आपके द्वारा मोटर मार्ग में प्रभावित हो रहे वृक्षों की गणना सूची व वास्तविक रूप से पातन किये जा रहे वृक्षों की गणना सूची पृथक–पृथक उपलब्ध नही करायी गयी है।

2– आपके द्वारा अपने पत्र 153/1सी0 दिनांक 27.01.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की गणना सूची में व्यासवार प्रजातियों का कुल योग गलत अंकित किया गया है, संशोधित करते हुए प्रभावित वृक्षों की गणना सूची पुन उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।

3– प्रस्ताव में मलवा निस्तारण हेतु बिन्सर संरक्षित वन क्षेत्र का कुल 0.88 है0 भूमि व अल्मोड़ा वन क्षेत्र का कुल 1.8 है0 आरक्षित भूमि प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है, जबकि नोडल कार्यालय से स्पष्ट निर्देश है कि मलवा निस्तारण हेतु सर्वप्रथम नाप भूमि का चयन किया जाना है, नाप भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए सिविल व पंचायती वन में वृक्ष विहिन भूमि का चयन किया जाना है, जबकि आपके द्वारा आरक्षित/संरक्षित क्षेत्र चयनित किया गया है कि जिसमें 203 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि व पंचायती वन भूमि के चयन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कि जानी अपेक्षित है।

अतः आप उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अविलम्ब आख्या/प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे उक्त प्रकरण राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित होने के कारण अति महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके स्तर से त्वरित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।